

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी 2016—माघ 1, शक 1937

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. एफ-11-1-2014-54-2.—राज्य शासन एतद्वारा हज अधिनियम, 2002 (क्रमांक 35) की धारा 17(1) तथा 18(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये धारा 18(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:—

1. श्री जाकिर मदनी जिला खण्डवा
2. श्री गुलरेज शेख जिला उज्जैन
3. श्री मुफ्ती सैय्यद साबिर अली जिला इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीया, उप सचिव.